प्रकरण संख्या 12/2018 नाथूलाल बनाम मांगीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत कर ग्राम लदानी की विवादित आराजियात के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। उक्त वाद प्रस्तुत होने के बाद अधिनस्थ न्यायलय में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर दिनांक 21.05.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। इसके बाद दिनांक 16.06.2016 को प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ, जहां वादी नाथूलाल स्वयं उपस्थित होकर उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा ने भी हस्ताक्षर किये, जिस पर लोक अदालत की आदेशिका अनुसार यह वर्णित किया गया कि उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा अनुसार सहमति विभाजन करा लिया गया है। उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.06.2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.01.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली दिनांक 16.06.2016 को लोक अदालत कैम्प लदानी में नियत की गयी जहां राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट को धोखे में रखकर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार राजीनामे में बराबर–बराबर का बटवाड़ा करने का आश्वासन देकर खाली आदेशिका एवं खाली स्टाम्प व कागजों पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये। अपीलान्ट को शंका होने पर दिनांक 10.11.2017 को राजस्व रेकार्ड की प्रतिलिपियों हेतु आवेदन किया, जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 07.12.2017 एवं दिनांक 03.01.2018 को नकल प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। प्रकरण में उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अब उसका यह कहना कि उसके खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये, जो न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के मर्यादा के प्रतिकूल है। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा विभाजन जो भी दिनांक 16.06.2016 को निष्पादित हुआ है, उसमें भी अपीलान्ट की फोटो लगी होकर उसके हस्ताक्षर है। इस परिस्थितियों में	

प्रकरण संख्या 12/2018 नाथूलाल बनाम मांगीलाल

यह कदापि नहीं माना जा सकता कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.06.2016 की जानकारी नहीं हो, तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया कि उसके द्वारा न तो कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया न ही किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत किया गया, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति मानकर विभाजन कर दिया गया। सहमति विभाजन विधि अनुसार नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण है।

हमारे द्वारा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात के दृष्टिगत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि सहमति विभाजन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.06.2016 को विभाजन का अन्य वाद डिक्री किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन है कि सहमति विभाजन उसके साथ धोखा–धड़ी से करवाया गया है। अर्थात वह सहमति विभाजन से रूष्ट है, जबकि सहमति विभाजन पर उसका फोटो होकर उसके हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट द्वारा जब स्वेच्छा से वाद नहीं चलाने की अभिस्वीकृति अधिनस्थ न्यायालय में दी जाती है तो अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है था कि वह वादी/अपीलान्ट के वाद को निरन्तर जारी रखे। अपीलान्ट की सहमति की साक्ष्य उपलब्ध है तो इन परिस्थितियों में अपीलान्ट का वाद इस आधार पर पुर्नजीवित नहीं किया जा सकता है कि तथाकथित विभाजन जो तहसीलदार द्वारा किया गया है वह त्रुटि पूर्ण है। यदि अपीलान्ट उक्त सहमति विभाजन से रूष्ट था तो उसके लिए उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी न कि अपीलाधीन वाद को प्रत्याहरित/ सहमति से ड्रोप किये जाने के बाद उसे पुर्नजीवित किया जावे। तद्नुसार हम गुणावगुण पर भी अपील पोषणीय नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 12/2018 नाथूलाल बनाम मांगीलाल

प्रकरण संख्या 12/2018 नाथूलाल बनाम मांगीलाल